जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
50/2015

मुन्तकिली प्रकरण सं0 50/2015 अनवानी श्री औंकार सिंह पुत्र श्री सन्त सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति रायसिख साकिन 17 एस तहसील श्रीकरनपुर बनाम 1–केहर सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति रायसिख साकिन 17 एस तहसील श्रीकरनपुर 2–महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति रायसिख साकिन 17 एस तहसील श्रीकरनपुर 3– उपजिलाधीश श्रीकरनपुर

09.01.2017

प्रार्थी श्री औंकार सिंह के अभिभाषक श्री ओ. पी. बतरा उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री ओ. पी. बतरा का कथन था कि प्रार्थी के दादा दयाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह को बतौर नोन कलेमेंट चक 17 एस तहसील श्रीकरनपर के मु0न0 26 की 25 बीघा भारत सरकार द्वारा आवंटित है। प्रार्थी के दादा दयाल सिंह ने अपने जीवन काल में चक 17 एस तहसील श्रीकरनपुर के मु0न0 26 में 7.10 बीघा रकबा भगवान सिंह तथा 7.10 बीधा रकबा की दिनांक 08.12.78 को वसीयत कर दी थी वसीयत के आधार पर प्रार्थी व उसका भाई जमीन का हकदार है।

उनका आगे कथन था कि उक्त रकबा की तमाम किश्ते जमा हो चुकी है तथा कोई बकाया नही है। इसलिए प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाई भगवानसिंह ने उक्त रकबा की वसीयत के आधार पर खातेदारी सनद जारी करवाने के लिये जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रा0 पत्र पेश किया, जिसमें तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी किन्तु डी पी सी एण्ड आर एक्ट रिपील होने के कारण उसमें कार्यवाही रोक दी गई थी। चूंकि अब राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.02.09 के द्वारा उपजिलाधीश को शक्तियां प्रदान कर दी गई है। इसलिए उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रा0 पत्र पेश करके उक्त वसीयत के आधार पर खातेदारी सनद जारी करने की प्रार्थना की गयी तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि कस्टोडियन मामलों में मैं अब कोई कार्यवाही नही करूंगा। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में लंबित अनवानी दयालसिंह पुत्र गुलाब सिंह को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह मामला अभी एडमिशन की स्टेज पर चल रहा है। प्रार्थी द्वारा जिस पीठासीन अधिकारी पर यह आरोप लगाया गया है कि वह कस्टोडियन के मामले में कोई कार्यवाही नही करेंगें, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है और नये पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 08.05.16 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो चुका है और इसी आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

158
18-1-17

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर